TIMES OF INDIA, Online, 18.5.2022
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

HC seeks NHRC reply on panel for post-poll complaints

https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/hc-seeks-nhrc-reply-on-panel-for-post-poll-complaints/articleshow/91627788.cms

Calcutta High Court has sought response from the National Human Rights Commission (NHRC) on the state's complaint that it had set up an 11-member committee when the HC ordered formation of a three-member committee to examine complaints of people displaced during the 2021 post-poll violence. Advocate general S N Mookherjee submitted to a division bench of Chief Justice Prakash Shrivastava and Justice Rajarshi Bharadwaj on Tuesday that a communication from the NHRC undersecretary to the state chief secretary on May 10, 2022 showed that a team of 11 members had been formed. The division bench on April 20 constituted a three-member committee of an NHRC member, a member of State Human Rights Commission and member-secretary of State Legal Services Authority to enquire into complaints of displaced persons. The NHRC counsel submitted that a three-member panel was formed and it decided to expand the strength to 11 to help in administrative work. The next hearing is on Wednesday.

STATESMAN, Online, 18.5.2022
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

CBI summons Trinamul MLA in connection with BJP worker's murder

https://www.thestatesman.com/bengal/cbi-summons-trinamul-mla-connection-bjp-workers-murder-1503073071.html

The Central Bureau of Investigation (CBI) has summoned senior Trinamul Congress legislator Paresh Paul in connection with the alleged murder of a BJP activist Avijit Sarkar.

He was summoned soon after the results of the 2021 West Bengal elections were declared. Paul is the ruling party legislator from Beliaghata Assembly constituency in north Kolkata.

CBI sources said that Paul has been called to the office of the CBI at central government offices (CGO) complex in Salt Lake on Wednesday.

Sarkar was lynched and Biswajit Sarkar, the elder brother of the deceased BJP activist, had complained that Paul had been responsible for the lynching of his brother. Recently, he even staged a sit-in demonstration in front of the CBI office at the CGO complex demanding action against Paul.

CBI sources said that through questioning of Paul, the sleuths would like to have an idea on whether the legislator had any connection with those responsible for the lynching.

Biswajit had told the media that though he had faith in its probe of the central agency, he was however, disappointed by the agency as Paresh Pal was not being interrogated so far despite they mentioning the Beliaghata legislator's name in the alleged murder a number of times.

According to Biswajit, the attack on his brother was launched at the behest of Paresh Pal, who he alleged was the provocateur along with Swapan Samddar, councillor of the Trinamul Congress, the duo he claimed had on times without number allegedly made provocative statements while addressing party workers during the assembly polls, which had culminated into the alleged attack on his brother.

Avijit Sarkar was lynched on 3 May, 2021, the very day the results for the 2021 West Bengal Assembly elections were announced. The CBI took over the investigation following an order of the Calcutta High Court. A team of National Human Right Commission (NHRC) visited different pockets of the state and submitted a report, holding several top leaders and MLAs of ruling Trinamool Congress responsible for that post-poll violence.

Paul is a five-time MLA, has served two terms as legislator from Kolkata's Maniktala Assembly constituency from 1996 to 2006. In 2006, he was defeated by CPI-M's Rupa Bagchi. In 2011, he shifted to the Baliaghata constituency and got elected. He was re-elected from there in 2016 and 2021.

FREE PRESS JOURNAL, Online, 18.5.2022
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Mundka building fire: Delhi court grants one-day police custody of accused Manish Lakra, Harish Goyal and Varun Goyal

https://www.freepressjournal.in/india/mundka-building-fire-delhi-court-grants-one-day-police-custody-of-accused-manish-lakra-harish-goyal-and-varun-goyal

A Delhi court granted one-day police custody of accused Manish Lakra, Harish Goyal and Varun Goyal on Tuesday in relation to the Mundka building fire case.

The Delhi Police Monday had said that they will seek the custody of the two businessmen who were running an industrial unit in a Mundka building where a devastating fire killed 27 people on Friday to question them along with the owner of the building.

The Goyal brothers were arrested on Friday, and Lakra was arrested on Sunday.

Meanwhile, National Human Rights Commission (NHRC) team Monday visited the commercial building in Mundka which was gutted in a massive fire on May 13.

Taking suo motu cognizance of media reports, Sunil Meena, NHRC DIG said, "We have taken suo moto cognizance of the incident and we looking into human rights violations," adding, "it is the first day of the probe, and will progress as we get more facts."

The National Human Rights Commission on Sunday issued notice to the Delhi government on the Mundka building fire incident that claimed 27 and asked for a report in two weeks.

In one of the worst fire tragedies in the national capital’s recent history, at least 27 people were killed inside a four-storey commercial building near Mundka Metro station, in Outer Delhi last week on Friday.

ABP LIVE, Online, 18.5.2022
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Mundka Fire: मुंडका अग्निकांड में मारे गए 26 लोगों के परिजनों का लिया गया DNA सैंपल, NHRC की टीम ने की पड़ताल

https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-mundka-fire-dead-relatives-samples-is-taken-for-the-dna-test-2125268

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुंडका में चार मंजिला बिल्डिंग में हुए अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से कुल 26 के डीएनए नमूने लिए गए हैं. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस उपायुक्त समीर शर्मा ने बताया कि कुल 27 लापता लोगों की सूची तैयार की गई थी. उन्होंने कहा, हमने मृतक की पहचान के लिए 26 डीएनए नमूने एकत्र किए हैं, जबकि एक लापता महिला का डीएनए नमूना अभी तक एकत्र नहीं किया गया है, क्योंकि अब तक उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं मिला है.

13 मई को मुंडका में चार मंजिला इमारत में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई थी

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में हाल के वर्षों में देखी गई सबसे घातक अग्नि त्रासदियों में से एक मुंडका में 13 मई को हुई थी. दरअसल पश्चिमी दिल्ली के मुंडका इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी. इस अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हो गए थे. वहीं तीन दिन बाद भी, चिकित्सक 27 शवों में से केवल आठ की पहचान कर पाए हैं, जिन्हें नष्ट हो चुकी इमारत से बरामद किया गया था. इसका कारण यह है कि अधिकांश शव इस हद तक जले चुके थे कि यह भी पता लगाना मुश्किल था कि जले हुए पार्थिव शरीर किसी पुरुष के थे या महिला के थे.

NHRC की टीम में आग की शिकार इमारत की जांच-पड़ताल की

वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक टीम ने हाल ही में आग का शिकार हुई मुंडका स्थित इमारत की सोमवार को जांच-पड़ताल की. एनएचआरसी के डीआईजी एस. के. मीणा ने पूरे भवन का निरीक्षण किया और बाद में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि वे वहां हुए किसी भी (संभावित) मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर रहे हैं.

टीम पूरे मामले की जांच भी करेगी

इससे पहले रविवार को, एनएचआरसी ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया था और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर अपने मुख्य सचिव को दो सप्ताह के भीतर आयोग को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है. एनएचआरसी ने यह भी देखा कि इस आग की घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि शहर के अधिकारियों ने अतीत में इसी तरह की घटनाओं से बहुत कम सीखा है जो अग्नि सुरक्षा तंत्र की पूरी कमी और उनके कार्यान्वयन में अंतर को उजागर करता है.

अग्निकांड की शिकार इमारत के रास नहीं था अग्निशमन विभाग का NOC

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोक सेवकों के वैधानिक कर्तव्यों की पूर्ण उदासीनता और पूरी तरह से लापरवाही के कारण पीड़ितों के मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का सबसे खराब मामला प्रतीत होता है, जिससे मूल्यवान जीवन का नुकसान होता है. प्रासंगिक रूप से, दुर्भाग्यपूर्ण इमारत के पास अग्निशमन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं था. दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग कई बार कह चुके हैं कि उक्त भवन मालिकों ने कभी भी फायर एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया. बता दें कि एक फायर एनओसी प्रमाणित करता है कि एक इमारत को दिल्ली अग्निशमन सेवा नियमों के नियम 33 के अनुसार आग की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन माना गया है.

DAINIK JAGRAN, Mau, 18.5.2022
Page No. 5, Size:(5.62)cms X (6.72)cms.

कोपागंज थानाध्यक्ष की डीआइजी से की शिकायत

मऊ : कोपागंज के जयरामगढ़ गांव निवासिनी सुदामी देवी ने डीआइजी आजमगढ़ से जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थानाध्यक्ष कोपागंज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित महिला ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली को भी पत्र लिखा है। (जासं)

PUNJAB KESARI, Lucknow, 18.5.2022
Page No. 8, Size:(6.06)cms X (7.99)cms.

तालिबान ने मानवाधिकार आयोग को भंग किया

इस्लामाबाद, 17 मई (ए.एन.आई.) : अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाने वाले तालिबान ने मानवाधिकार आयोग सहित 5 अहम विभागों को भंग कर दिया है।

मानवाधिकार आयोग के अलावा राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद (एच.सी.एन.आर.) को भी भंग कर दिया गया जिसकी अध्यक्षता आखिरी बार अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने की थी।

TIMES OF INDIA, Kolkata, 18.5.2022
Page No. 9, Size:(4.09)cms X (14.19)cms.

HC seeks NHRC reply on panel for post-poll complaints

Subrata Chattoraj | TNN

Kolkata: Calcutta High Court has sought response from the National Human Rights Commission (NHRC) on the state's complaint that it had set up an 11-member committee when the HC ordered formation of a three-member committee to examine complaints of people displaced during the 2021 post-poll violence.

Advocate general S N Mookherjee submitted to a division bench of Chief Justice Prakash Shrivastava and Justice Rajarshi Bharadwaj on Tuesday that a communication from the NHRC undersecretary to the state chief secretary on May 10, 2022 showed that a team of 11 members had been formed.

The division bench on April 20 constituted a three-member committee of an NHRC member, a member of State Human Rights Commission and member-secretary of State Legal Services Authority to enquire into complaints of displaced persons. The NHRC counsel submitted that a three-member panel was formed and it decided to expand the strength to 11 to help in administrative work.

The next hearing is on Wednesday.

SAMAGYA, Kolkata, 18.5.2022
Page No. 3, Size:(7.24)cms X (21.21)cms.

एनएचआरसी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ममता सरकार, जवाब तलब

कोलकाता, समाज्ञा : चुनावी हिंसा को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर लगाया है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में याचिका लगाई है। राज्य सरकार ने कहा है कि कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर चुनावी हिंसा की शिकायतों को देखने का आदेश दिया था जबकि आयोग ने 11 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। इसी मामले में न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इस बाबत रिपोर्ट तलब की है। हालांकि, मानवाधिकार आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा कि कोर्ट के आदेश अनुसार तीन सदस्यों की कमेटी बनी है जिसमें दो सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग और विधिक विभाग के हैं जबकि एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं। बाकी आठ सदस्य मंत्रालयिक कार्यों के लिए शामिल किए गए हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में 24 घंटे के अंदर लिखित में जवाब तलब किया है। 18 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी।

PRABHAT KHABAR, Kolkata, 18.5.2022
Page No. 2, Size:(16.13)cms X (7.36)cms.

एनएचआरसी के खिलाफ राज्य सरकार ने उठाये सवाल

- तीन सदस्यीय समिति की बजाय 11 सदस्यों की टीम का गठन करने का आरोप

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा लगाये गये आरोप पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से जवाब मांगा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा की शिकायतों को देखने के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन के न्यायालय के पहले के आदेश के विपरीत पश्चिम बंगाल में पीड़ितों के लिए एनएचआरसी ने 11 सदस्यों की टीम का गठन किया गया. गौरतलब है कि अदालत ने सुनवाई की पिछली तिथि पर पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के कारण 303 से अधिक पीड़ितों को वापस लाने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था. इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य/नामित, राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य/नामित और सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम था. मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल एसएन मुखर्जी ने प्रस्तुत किया. हालांकि 10 मई, 2022 को पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव द्वारा एनएचआरसी के सचिव से प्राप्त संदेश से पता चला है कि न्यायालय द्वारा गठित समिति के जनादेश का विस्तार करके 11 सदस्यों की टीम बनाई गई है. मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होनी है.

चुनाव बाद हिंसा का मामला

RAJASTHAN PATRIKA, Kolkata, 18.5.2022
Page No. 1, Size:(21.87)cms X (30.94)cms.

तीन सदस्यीय कमेटी कैसे हो गई 11 सदस्यीय

हाईकोर्ट के सवालों के घेरे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कोलकाता . कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जानना चाहा कि उसने चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ितों की घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट की ओर से घोषित तीन सदस्यीय कमेटी में 11 सदस्य क्यों शामिल किए। आयोग को अगले दो दिनों के भीतर इस संबंध में जवाब देने का आदेश दिया गया। मुख्य न्यायधीश प्रकाश श्रीवास्तव तथा राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने दो दिनों के भीतर आयोग को रिपोर्ट देने को कहा है ।अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा में घर छोडने वाले को वापस घर लौटाने के लिए तीन सदस्य कमेटी का गठन किया था। जिसमें राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के एक एक सदस्य तथा लीगल एड फोरम के एक सदस्य को शामिल किया था। मंगलवार को राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए तीन सदस्यीय कमेटी की जगह उसे 11 सदस्यीय कमेटी बना दिया।

मामलों की संख्या ज्यादा इसलिए बढ़ाए सदस्य

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिवक्ता सुबीर सान्याल ने अदालत को बताया कि अभी भी कमेटी के तीन मुख्य सदस्य ही हैं। 400 अतिरिक्त मामलों के कारण अतिरिक्त सदस्य रखे गए हैं।

VIRAT VAIBHAV, Delhi, 18.5.2022
Page No. 13, Size:(16.75)cms X (28.12)cms.

पैरेंट्स चाह रहे स्कूलों में गर्मी की छुट्टी घोषित की जाए

भीषण गर्मी के कारण कई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है। इस दृष्टि से स्कूलों को बिना देरी किए तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए और छुट्टियों की घोषणा की जानी चाहिए।

दिल्ली पैरेंट्स एसोसिएशन (डीपीए) ने उपराज्यपाल अनिल बैजल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को पत्र लिखकर मांग की कि भीषण गर्मी को देखते हुए शहर के स्कूलों में तुरंत गर्मी की छुट्टी घोषित की जाए। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुंगेशपुर में पारा 49.2 डिग्री सेल्सियस और शहर के दक्षिण-पश्चिम हिस्से के नजफगढ़ में 49.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में रविवार को भीषण लू चली।

अधिकतम तापमान स्पाट्र्स कॉम्प्लेक्स में 48.4 डिग्री सेल्सियस, जाफरपुर में 47.5 डिग्री सेल्सियस, पीतमपुरा में 47.3 डिग्री सेल्सियस और रिज में 47.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। डीपीए अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने पत्र में लिखा, हम आपसे अपील करते हैं कि दिल्ली में भीषण गर्मी के मद्देनजर बिना देर किए स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां तुरंत घोषित करें। भीषण गर्मी के कारण कई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है। इसमें कहा गया, दिल्ली में 72 साल बाद इतनी गर्मी पड़ रही है। 15 मई 2022 को दिल्ली के कई इलाकों में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जहां बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ बचाव नियम और सुझाव भी जारी किए गए थे वहीं पड़ोसी राज्यों में भी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार द्वारा लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया।

केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि बच्चों के लिए दोपहर 12 बजे से अपराहन तीन बजे तक बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। गौतम ने कहा कि गर्मियों की छुट्टी का मुख्य उद्देश्य बच्चों को लू के प्रकोप से बचाना था। उन्होंने कहा, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती गर्मी के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं और स्कूलों में उपस्थिति दर लगातार गिर रही है। इसलिए, इस दृष्टि से स्कूलों को बिना देरी किए तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए और छुट्टियों की घोषणा की जानी चाहिए।

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 18.5.2022
Page No. 18, Size:(4.43)cms X (4.91)cms.

NHRC expresses serious concern over fire incident in Mundka

The National Human Rights Commission, NHRC, India has issued notices to the Chief Secretary, Government of NCT of Delhi to submit a detailed report within two weeks regarding the unfortunate death of 27 people in a major fire in a four-storey office in Mundka, Delhi on May 13. Reportedly, this incident occured due to lack of fire safety mechanisms in the building.